समाहरणालय, मुंगेर

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

श्री प्रवीण कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा, प्रखंड कार्यालय बरियारपुर, मुंगेर एवं वर्त्तमान पदस्थापन प्रखण्ड कार्यालय धरहरा, मुंगेर द्वारा ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा, प्रखंड कार्यालय बरियारपुर, मुंगेर के विरूद्व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) मुंगेर के पत्रांक–2854,दिनांक–17.06.2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पंचायत शिक्षक नियोजन 2012 में जालसाजी कर नियोजन करने, उक्त नियोजन के विरूद्व श्री पवन कुमार मण्डल, ग्राम– दहगाना, पोस्ट– गोगरी, जिला– खगडिया के परिवाद पत्र के जॉच के क्रम में उक्त आरोप सही पाये जाने के कारण प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बरियारपुर के पत्रांक 180 दिनांक 06.06.2014 के द्वारा श्री प्रवीण कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा, प्रखंड कार्यालय बरियारपुर, मुंगेर के विरूद्व बरियारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया, जिसका प्राथमिकी काण्ड संख्या– 71/2014, दिनांक 07.06.2014 है। उक्त काण्ड में श्री प्रवीण कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा, प्रखंड कार्यालय बरियारपुर कारावासीत होने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 313/पं0, दिनांक–02.07.2014 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

उक्त काण्ड में श्री प्रवीण कुमार, पंचायत सचिव, को गिरफ्तार कर काराधीन किया गया। जिसके क्रम में श्री कुमार, पंचायत सचिव को माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना के द्वारा Crimianal Miscellaneous No-42692/2014 में दिनांक 13.02.2015 के आलोक में सशर्त्त जमानत दी गई, जिसके क्रम में श्री कुमार पंचायत सचिव के द्वारा दिनांक 14.03.2015 को अनुमंडल कार्यालय तारापुर में योगदान दिया गया जिसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर में. पत्रांक 700 दिनांक 01.04 2015 द्वारा दी गई। चूंकि श्री प्रवीण कुमार निलंबित पंचायत सचिव के द्वारा जमानत के पश्चात् 14.03.2015 को अनुमंडल कार्यालय तारापुर में योगदान समर्पित किया गया है।

अतएव बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के कंडिका–09 (3)(i) के आलोक में कारावास अवधि के बाद श्री कुमार, पंचायत सचिव योगदान के पश्चात् योगदान की तिथि 14.03.2015 भूतलक्षी प्रभाव से इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 309 /पं0, दिनांक 24.04.2015 से निलंबन मुक्त किया गया।

इस कार्यालय के ज्ञापांक 320/पं0, दिनांक– 02.05.2015 द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) मुंगेर से श्री प्रवीण कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा, प्रखंड कार्यालय बरियारपुर, मुंगेर के विरूद्व प्रपत्र–'क' गठीत कर जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के माध्यम से मांग किया गया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर पत्रांक– 3759/ दिनांक–15.07.2015 द्वारा प्रपत्र–'क' गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्राप्त प्रपत्र–'क' में कुल 06 (छः) आरोप लगाये गये है, जो निम्नवत् है :–

(1) यह कि आप ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा हरिणमार प्रखंड–बरियारपुर के प्रभार में थे। अपने पदस्थापन अवधि मे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, मुंगेर को जॉच हेतु पूर्व में प्राप्त करायी गयी औपबंधिक मेघा सूची को नया मेघा सूची बनाया गया। (2) यह कि जॉच के क्रम में श्री धर्मेन्द्र कुमार का टी0ई0टी0 का क्रमांक गलत पाये जाने के बावजूद भी उनका नाम मेघा सूची में अंकित कर दिया गया। (3) यह कि टी0ई0टी0 अनुत्तीर्ण अभ्यार्थी का मेघा सूची में नाम अंकित करते हुए नियोजन पत्र निर्गत किया गया। (4) यह कि आपके द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी सरकारी अभिलेखों की कूट रचना एवं अपराधिक षडयन्त्र रचते हुए शिक्षक का नियोजन किया गया।(5) यह कि आपके द्वारा कार्यवाही पंजी में बगैर माननीय मुखिया (अध्यक्ष) के हस्ताक्षर से ही विभिन्न तिथियों में बैठक की कार्यवाही पूर्ण दिखाते हुए। नियोजन से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई,जो स्पष्ट नियम के विपरीत है। (6) यह कि मेघा सूची में भी सिर्फ श्री रामबदन यादव जो उच्च विद्यालय के शिक्षक हैं, जिन्हें सदस्य के रूप में नामित किया गया था, का फर्जी हस्ताक्षर कर मेघा सूची का भी रचना किया गया।

उपरोक्त प्रपत्र–'क' में लगाये गये आरोप का अनुमोदन करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक– 475/पं0, दिनांक–03.08.2015 के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं उपस्थापन पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मुंगेर को नामित किया गया।

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर –सह– विभागीय संचालन पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक– 908/रा0, दिनांक– 28.12.2020 के द्वारा श्री प्रवीण कुमार पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा, प्रखंड कार्यालय बरियारपुर, मुंगेर के विरूद्व विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अभिलेख उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–'क' में लगाये गए आरोप प्रमाणित पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के निष्कर्ष, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं आरोपी कर्मी के द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण का विवरण निम्नवत् है :–

आरोप संख्या/ आरोप लांछन का गठन	आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण	उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य	विभागीय संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष
1	2	3	4
आरोप संख्या:–01 :– यह कि आप ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा हरिणमार प्रखंड – बरियारपुर के प्रभार	उक्त आरोप के आलोक में आरोपी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि मै वर्ष 2011 से 2014 जून तक ग्राम पंचायत बिन्दा दियारा हरिणमार प्रखंड बरियारपुर के प्रभार में पदस्थापित था। पदस्थापन अवधि	उपस्थापन पदाधिकारी –सह– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा स्थापना, मुंगेर के पत्रांक 432 (एच) दिनांक 08.09.2017 द्वारा प्राप्त मंतव्य में उपरोक्त	उपस्थापन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय नियमानुसार आरोपी पंचायत सचिव के द्वारा बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये ही शिक्षक नियोजन की कार्यवाई की गई। जब कि आरोप सं0 02 में

में थे। अपने पदस्थापन अवधि में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, मुंगेर को जाँच हेतु पूर्व में प्राप्त करायी गयी औपबंधिक मेघा सूची को नया मेघा सूची बनाया गया।	पंचायत षिक्षक की नियोजन के संबंध में जो मेघा सूची औपबंधिक से तैयार की गई। मेघा सूची को अनुमोदन हेतु नियोजन समिति के सदस्य सचिव के समक्ष रखा गया। मेघा सूची जो औपबंधिक रूप से तैयार की गई उसे प्रकाशित किया गया, तद्नुसार किसी प्रकार की आपत्ति हो तो जो पन्द्रह दिनों के अन्दर अपना आपत्ति आवेदन समर्पित किया जाय। औपबंधिक मेघा सूची लाभार्थियों की संख्या 147 एवं आपत्ति आवेदन के उपरांत कुल 154 लाभार्थी की सूची तैयार कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बरियारपुर को उपलब्ध कराया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बरियारपुर द्वारा तैयार की गई मेघा सूची जिला कार्यालय को भेजी गई है। जिला स्तर से मुझे 147 लाभार्थियों की सूची पर जिला स्तर से संशोधित कर प्राप्त हुआ और आपत्ति निराकरण 154 लाभार्थियों की सूची प्राप्त नहीं कराई गयी। आपत्ति आवेदन को मानकर ही मेघा सूची तैयार की गयी है। जो बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 के कंडिका (घ) II के आलोक में पुनः सार्वजनिक कर नियोजन की कार्रवाई की गई। मेरे ऊपर लगाये गये आरोप तथ्यहीन एवं सत्य से परे है।	स्पष्टीकरण के आलोक में प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 के कंडिका II (घ) (I) एव (ii) में स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायत नियोजन समिति द्वारा मेघा सूची अनुमोदित होने के उपरांत आपत्ति प्राप्त करने एवं इसके निराकरण के बाद इसे अन्तिम रूप दिया जायेगा। अन्तिम मेघा सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनुमोदनार्थ भेजी जायेगी। श्री प्रवीण कुमार, पंचायत सेवक द्वारा तथा कथित अन्तिम मेघा सूची बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन प्राप्त किये नियोजन की कार्रवाई की गयी है। यह नियम के विरूद्ध है। स्पष्ट है कि मनमाने ढग से मेघा सूची तैयार कर नियोजन की कार्रवाई की गयी है। इसके लिए श्री प्रवीण कुमार दोषी है। अतः इस बिन्दु पर दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।	उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ही मंतव्य में कहा गया है कि आरोपी पंचायत सचिव के द्वारा अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराई गई वरीयता मेघा सूची जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना), मुंगेर को जाँच हेतु उपलब्ध कराया गया था, उसमें क्रमांक–02 पर धर्मेन्द्र कुमार के नाम के सामने त्रुटि के रूप में "टी0ई0टी0 का क्रमांक नहीं है" अंकित है। उपरोक्त मंतव्य से स्पष्ट नहीं होता है कि सचिव, शिक्षक नियोजन समिति द्वारा अंतिम मेघा सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी को उनके अनुमोदन हेतु नहीं भेजा गया था।
आरोप सं0–02 :– यह कि जाँच के क्रम में श्री धर्मेन्द्र कुमार का टी0ई0टी0 का क्रमांक गलत पाये जाने के बावजूद भी उनका नाम मेघा सूची में अंकित कर दिया गया।	उपरोक्त आरोप के संबंध में आरोपी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री धर्मेन्द्र कुमार पेसर श्री नरेष प्रसाद सिंह ग्राम लक्ष्मीपुर जिला खगडिया का टी0ई0टी0 का स्व–अभिप्रमाणित उनके द्वारा समर्पित की गई है। जिसके आधार पर उनका नाम औपबंधिक मेघा सूची तैयार की गई है। टी0ई0टी0 के क्रमांक 1706110541 अंकित है और जो जिला षिक्षा कार्यालय द्वारा सही बताते हुए टी0ई0टी0 का दो प्रतिषत माना गया है। लेकिन जो सूची पूर्व में प्रेषित किया गया है,धर्मेन्द्र कुमार टी0ई0टी0 के नाम का क्रमांक अंकित दर्षाया गया स्पष्टतः जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रस्तावित औपबंधिक सूची में सही बताते हुए नियोजन हेतु वापस की गयी है। उसी के आधार पर श्री धर्मेन्द्र कुमार का नियोजन प्रक्रिया अपनाई गयी है एवं नियोजन के समय धर्मेन्द्र कुमार के द्वारा शपथ पत्र भी समर्पित किया गया है और त्रुटि में क्रमांक गलत पाये जाने का आरोप लगाया गया है। वे बिल्कुल निराधार है। श्री धर्मेन्द्र कुमार टी0ई0टी0 प्रमाण पत्र जिसमें टी0ई0टी0 क्रमांक 1706110541 अंकित है, साक्ष्य के रूप में संलग्न की जाती	तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मुंगेर के पत्रांक 2944 दिनांक 06.06.2014 में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है कि श्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम के सामने अंकित पात्रता परीक्षा क्रमांक की जाँच जबकि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सी0डी0 से किया गया तो श्री कुमार छवज फनंसपपिमक पाये गये। साथ ही नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायी गयी वरीयता सूची के जाँच के उपरांत अन्तिम मेघा सूची के जाँच के क्रम में पायी गयी त्रुटि का विवरण जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से उपलब्ध कराया गया उसमें क्रमांक 02 पर धर्मेन्द्र कुमार के नाम के सामने त्रुटि के रूप में " टी0ई0टी0 का क्रमांक नहीं है, "अंकित है। इससे स्पष्ट है कि	उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य से स्पष्ट होता है कि नियोजन इकाई द्वारा वरीयता मेघा सूची अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायी गयी। अन्तिम मेघा सूची के जाँच के क्रम मे पायी गयी त्रुटि का विवरण जो जिला षिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से उपलब्ध कराया गया उसमें क्रमांक 02 पर धर्मेन्द्र कुमार के नाम के सामने त्रुटि के रूप मे "टी0ई0टी0 का क्रमांक नही है,"अंकित है। अर्थात श्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम के सामने"टी0ई0टी0 का क्रमांक अंकित होने एवं अंकित नहीं होने की दोनो बाते कही गयी है। आरोपी के स्पष्टीकरण के साथ श्री धर्मेन्द्र कुमार के द्वारा टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीण होने का उपलब्ध कराये गये स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र तथा शपथ के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आरोपी द्वारा श्री धर्मेन्द्र कुमार का टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीण होने के आधार पर टी0ई0टी0 का क्रमाक 1706110541 वरीयता मेघा सूची में दर्शाया गया है जिसके आधार पर नियोजन इकाई द्वारा तैयार की गई स्पष्ट है। दिनाक 07.11.(वर्ष अस्पष्ट) को जिला शिक्षा पदाधिकारी,मुंगेर के द्वारा ग्राम पंचायत हरिणमार(बिन्दादियारा) के अंतिम मेघा के त्रुटि निवारण सूची के क्रमाक 02 आवेदन पत्र स0 138 में श्री धर्मेन्द्र कुमार के सामने T E T का क्रमाक नही है अंकित किया गया है। उन क्रमाक 21 आवेदन स0 138 में धर्मेन्द्र कुमार के सामने कहा गया गया है कि T.E.T. का क्रमाक CD में अंकित नही है। इस तरह अन्तिम मेघा सूची पर जिला षिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बिन्दु पर आरोप स0 01

	है। साथ ही जिला कार्यालय द्वारा जो त्रुटि पूर्ण सूची उपलब्ध कराया गया है। उसमें धर्मेन्द कुमार का टी0ई0टी0 क्रमांक नहीं बताया गया उसकी छायाप्रति संलग्न की जाती है। उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वे निराधार एवं बेबुनियाद है।	मनमाने ढंग से तैयार मेघा सूची के बाद में टी0ई0टी0 का क्रमांक अंकित कर दिया गया जिसे बाद में जाँच के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,स्थापना द्वारा Not Qualified पाया गया। इस कारण इस बिन्दु पर दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।	तथा आरोप सं0 02 के संदर्भ में उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य में विरोधाभास प्रतीत होता है। यह भी प्रश्न उठता है कि यदि निर्धारित तिथि तक नियोजन इकाई के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अन्तिम मेघा सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी को नहीं भेजी गयी तो वैसी परिस्थिति में नियोजन इकाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्मारित किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।
आरोपी सं0–03 यह कि टी0ई0टी0 अनुत्तीर्ण अभ्यार्थी का मेघा सूची में नाम अंकित करते हुए नियोजन पत्र निर्गत किया गया।	कंडिका –02 (अरोप सं0–02) में प्रति उत्तर समर्पित है। वह सही है। यह आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है।	इनके द्वारा औपबंधिक मेघा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने एवं इसके निराकरण करने का जो उपक्रम किया गया है इसमें 07(सात) अभ्यार्थियों आपत्ति आवेदन प्राप्त रहने का उल्लेख दिनांक 15.09.2013 की बैठक कार्यवाही के अन्तर्गत आपत्ति स्वीकार करने का आधार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आपत्ति के आधार पर शामिल किये गये इन 07 (सात) अभ्यार्थियों क्रमशः रोहित कुमार, विक्रम कुमार, बेबी कुमारी, साहब कुमार, संजय कुमार रजक, विवेकानंद झा एवं रूबी कुमारी में से चार का नाम चयन मेघ सूची में आ जाना दर्शाता है कि आपत्ति निराकरण की प्रक्रिया मात्र इन लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देष्य से किया गया है। विशेष कर तब जब इन सभी चयनित चार लोगों का टी0ई0टी0 प्रमाण–पत्र तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना द्वारा जाँच के क्रम में जाली पाया गया। अतः इस बिन्दु पर भी दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।	उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा आरोप सं0 2 में दिये गये मंतव्य के अनुसार जब नियोजन इकाई द्वारा वरीयता मेघा सूची पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया था तो जाँचापरांत एक साथ सारे आपत्तियों का निराकरण नियोजन इकाई से कराया जाना चाहिए था,जो उनके द्वारा नहीं किया गया। चूंकि नियोजन इकाई से आपत्तियों के निराकरण कराये जाने का उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। गठित आरोप स्पश्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता है।
आरोपी सं0–04 यह कि आपके द्वारा धोखाधड़ी,जालसाजी सरकारी अभिलेखों की कूट रचना एवं अपराधिक षडयन्त्र रचते हुए शिक्षक का नियोजन किया गया।	आरोप सं0–04 के संबंध में आरोपी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि आरोपी द्वारा जो मेघा सूची औपबंधिक रूप से तैयार की गई, वह जिला से जाँचोपरांत त्रुटि का निवारण एवं त्रुटि का विवरण प्राप्त हुआ है। उन्हीं के अनुरूप शिक्षक नियोजन की कार्रवाई की गई है। जो कंडिका–02 (आरोप सं0–02) पर उल्लेखित है। मेरे ऊपर लगाये गये आरोप तथ्यहीन एवं सत्य से परे है।	उपर्युक्त तीनों कंडिको से आरोप स्थापित है। अतः स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।	विभागीय निर्देष के अनुसार नियोजन समिति का गठन मुखिया के अध्यक्षता में न कर उपमुखिया के अध्यक्षता में आरोपी द्वारा शिक्षक नियोजन की कार्रवाई की गयी। है, जो बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2012 के कंडिका II (घ) (i) के विरूद्ध है।
आरोपी सं0–05 यह कि आपके द्वारा	आरोप सं0–05 के संबंध में आरोपी द्वारा कहा गया है कि पंचायत	नियमावली के नियम 11(ग) (ii) से स्पष्ट है कि	आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन से विदित होता है कि मुखिया के बार–बार

कार्यवाही पंजी में बगैर माननीय मुखिया (अध्यक्ष) के हस्ताक्षर से ही विभिन्न तिथियों में बैठक की कार्यवाही पूर्ण दिखाते हुए। नियोजन से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई, जो स्पष्ट नियम के विपरीत है।	नियोजन करने हेतु कुल 05(पाँच)सदस्यों की कमिटी गठित कर नियोजन की कार्रवाई का निर्देष है। शिक्षक नियोजन हेतु विभिन्न तिथियों को ग्राम पंचायत हरिणमार में बैठक का आयोजन किया गया। मुखिया जी के बार–बार अनुपस्थित रहने के कारण जिसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर को दी गई थी, ग्राम पंचायत हरिणमार में नियोजन हेतु अनेक तिथियों को उपमुखिया श्रीमती बिरम देवी की अध्यक्षता में नियोजन की कार्रवाई की गयी। उनका हस्ताक्षर एवं सदस्यों का हस्ताक्षर कार्रवाई पर अंकित है। मेरे द्वारा शिक्षक नियोजन से संबंधित नियोजन की प्रक्रिया विभागीय निर्देष के आलोक में ही की गई है, जो नियम के विपरीत नहीं है। मेरे ऊपर लगाये गये आरोप तथ्यहीन एवं सत्य से परे है।	मुखिया का पद रिक्त रहने पर ही उपमुखिया को नियोजन समिति की अध्यक्षता करनी है। मुखिया के रहते उपमुखिया की अध्यक्षता में नियोजन की कार्रवाई अवैधानिक है। अतः यह स्पष्टीकरण भी स्वीकार योग्य नहीं है।	अनुपस्थित रहने की सूचना आरोपी द्वारा ग्राम पंचायत विन्दादियारा हरिणमार कार्यालय के पत्रांक 17 दिनांक 16.09.2013 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी,बरियारपुर को दी गई है। दिशा–निर्देष नहीं प्राप्त होने पर भी आरोपी द्वारा उपमुखिया श्रीमती बिरम देवी की अध्यक्षता में नियोजन की कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मुखिया के बार–बार अनुपस्थित रहने की सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर को देने के बावजूद उनके द्वारा कोई दिशा–निर्देष नहीं देने पर पुनः आरोपी को प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा दूसरे वरीय उच्च पदाधिकारी से दिशा–निर्देष प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए था, विषयांकित स्थिति में दिशा–निर्देष प्राप्त कर ही उपमुखिया के अध्यक्षता में नियोजन की अग्रेतर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ऐसा न कर सीधे अपने स्तर से निर्णय लेकर उपमुखिया के अध्यक्षता में नियोजन की कार्रवाई की गई जो विभागीय दिशा–निर्देष के विरूद्ध है। यह कृत आरोपी पंचायत सचिव श्री प्रवीण कुमार का मनमानी करने एवं स्वेछाचारी का द्योतक है, तथा बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली– 2012 के कंडिका II (घ) (i) दिये गये प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होता है।
आरोपी सं0–06 यह कि मेघा सूची में भी सिर्फ श्री रामबदन यादव जो उच्च विद्यालय के शिक्षक हैं, जिन्हें सदस्य के रूप में नामित किया गया था, का फर्जी हस्ताक्षर कर मेघा सूची का भी रचना किया गया।	आरोप सं0–06 के विरूद्ध आरोपी द्वारा कहा गया है कि श्री रामबदन यादव, उच्च विद्यालय के शिक्षक को नामित किया गया है इसकी कोई सूचना पंचायत सदस्य सचिव हरिणमार पंचायत को प्राप्त नहीं है। साथ ही औपबंधिक मेघा सूची जो जिला स्तर में जॉचोपरांत प्राप्त हुआ है। उसमें श्री रामबदन यादव शिक्षक का सूची पर हस्ताक्षर अंकित है। मेरे द्वारा औपबंधिक मेघा सूची पर श्री रामबदन यादव का हस्ताक्षर नहीं कराया गया है। जो मेघा सूची का सी0डी0 तैयार कर प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया। उसमें श्री रामबदन यादव का कहीं भी हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जो सी0डी0 मंगाकर स्वंय इस सत्य की जानकारी भवदीय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। औपबंधिक सूची जो जिला स्तर से प्राप्त हुआ है। श्री रामबदन यादव का हस्ताक्षर अंकित है। किनके समक्ष हस्ताक्षर किये हैं, इसकी जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। मेरे ऊपर लगाये गये आरोप बेबुनियाद एवं तथ्यहीन है। मुझसे पहले भी श्रीमान् द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था। मैंने उपरोक्त तथ्यों के आलोक में	तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के पत्रांक 2944 दिनांक 06. 06.2014 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि समिति के सदस्य के रूप में नामित उच्च विद्यालय के शिक्षक श्री रामबदन यादव को पंचायत सचिव द्वारा किसी बैठक में शामिल नहीं कराया गया। जब कि नियमावली के नियम 11(ख) के अनुसार पंचायत स्तर पर मेघा सूची का निर्माण पंचायत नियोजन समिति के सचिव एवं नियोजन समिति में मनोनित उच्च विद्यालय के शिक्षक द्वारा किया जायेगा। अतः यह स्पष्टीकरण भी स्वीकार योग्य नहीं है।	दिनांक 02.12.2020 को श्री रामबदन यादव सेवा निवृत शिक्षक राम मनोहर लोहिया उच्च विद्यालय,बरियारपुर ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर के सत्यापन के क्रम में उन्होंने बताया कि " वर्ष 2013 में मैं बरियारपुर प्रखंड अन्तर्गत राम मनोहर लोहिया, उच्च विद्यालय, बरियारपुर, मुंगेर में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित था। उस वक्त पंचायत शिक्षक नियोजन समिति के द्वारा पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। मैं कभी भी शिक्षक नियोजन से संबंधित बैठक मे भाग नहीं ली क्योंकि बैठक से संबंधित मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। अंतिम मेघा सूची पर मेरे द्वारा किसी प्रकार का हस्ताक्षर नही किया गया है। इस आशय का दिनाक 18.11.2020 को लिखित रूप से भी अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है। शिक्षक नियोजन हेतु गठित समिति के कार्यवाही पंजी के अवलोकन के क्रम में शिक्षक श्री रामबदन यादव का हस्ताक्षर कार्यवाही पंजी पर नहीं पाया गया। इस तरह श्री रामबदन यादव शिक्षक का नियोजन सूची पर आरोपी द्वारा ही हस्ताक्षर किया गया है, स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। दिनांक 10.10.2018 को उपस्थापन पदाधिकारी –सह– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना,मुंगेर से नियोजित षिक्षकों के संबंध में अद्यतन स्थिति माग किये जाने पर उन्होंने अपने पत्रांक 1258 दिनाक 03.07.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि विषयांकित नियोजित षिक्षकों में से श्रीमती बेबी कुमारी एव रूबी कुमार विद्यालय में योगदान के पश्चात् त्याग–पत्र दे दी है एव श्री साहब कुमार तथा श्री जितेन्द्र कुमार

	जबाब एवं अनुलग्नक दाखिल किया है। जिसे इस आवेदन का पार्ट माना जाय। अतः श्रीमान् से निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरे ऊपर लगाये गये सभी आरोपों से मुक्त करने की कृपा की जाय।		योगदान के पश्चात् बिना सूचना के अनुपस्थित हो गए, रॉबिन कुमार एवं धर्मेन्द्र कुमार का संबंधित विद्यालय में किसी प्रकार का अभिलेख संधारित नहीं पाया गया। अंकनीय है कि उक्तांकित शिक्षकों में किसी भी शिक्षक का वेतन भुगतान नहीं किया गया है तथा वर्त्तमान मे विद्यालय में भी कार्यरत नही हैं। उपस्थापन पदाधिकारी –सह– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, मुंगेर द्वारा अपने उक्त पत्रांक 1258 दिनांक 03.07.2019 के द्वारा नियोजित शिक्षक श्री विवेकानन्द कुमार तथा श्री विक्रम कुमार की अद्यतन स्थिति उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इन नियोजित शिक्षकों की अद्यतन स्थिति इस कार्यालय के पत्रांक 88 दि0 दिनांक 01.02.2020 द्वारा मांग की गई। पत्र के आलोक में उपस्थापन पदाधिकारी –सह– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, मुंगेर द्वारा अपने पत्रांक 323 दिनांक 05.02.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नियोजित शिक्षकों का नाम टंकण भूलवश विवेकानंद झा, विक्रम कुमार एवं रोहित कुमार अंकित किया गया था। जबकि सही नाम विवेकानंद कुमार, विक्रम कुमार तथा रॉबिन कुमार है एवं सभी शिक्षकों के संबंध में कार्यरत रहने/वेतन भुगतान के संबंध में पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 1258 दिनांक 03.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं है एवं इनमें से किसी को वेतन भुगतान नहीं किया गया है।

विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक– 228/पं0, दिनांक– 30.01.2021 के द्वारा श्री प्रवीण कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा, प्रखंड कार्यालय बरियारपुर, मुंगेर एवं वर्त्तमान पदस्थापन प्रखण्ड कार्यालय धरहरा मुंगेर से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

श्री प्रवीण कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा, प्रखंड कार्यालय बरियारपुर, मुंगेर एव वर्त्तमान पदस्थापन प्रखण्ड कार्यालय धरहरा, मुंगेर द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मेरे विरूद्व लगाये गये आरोप निराधार एवं तथ्यहीन का जिक्र करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा संतोषजनक नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इनके द्वारा जानबुझ कर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 का अवहेलना किया गया है। जो बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकुल है। फलस्वरूप श्री प्रवीण कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा, प्रखंड कार्यालय बरियारपुर, मुंगेर एवं वर्त्तमान पदस्थापन प्रखण्ड कार्यालय धरहरा, मुंगेर को वृहत दण्ड देना अनिवार्य हो गया है। आरोपित पंचायत सचिव, श्री प्रवीण कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा, प्रखंड कार्यालय बरियारपुर मुंगेर एवं वर्त्तमान पदस्थापन प्रखण्ड कार्यालय धरहरा मुंगेर सरकारी सेवक आचार नियमावली– 1976 के नियम– 3 (i), (ii), (iii) के तहत पूर्णरूपेण दोषी है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, आरोपी कर्मी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज, अधिगम के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी द्वारा पंचायत प्रारंभिक शिक्षक,(नियोजन एवं सेवा शर्त्ती) नियमावली 2012 का पालन नही किया गया गया है। साथ ही धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी अभिलेखो की कूट रचना कर अपराधिक षडयंत्र कर शिक्षक नियोजन किया गया है, जो सरकारी आचरण के प्रतिकूल है। **अतः मैं रचना पाटिल, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता–सह–दण्डाधिकारी, मुंगेर** बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका 14 (ix) के आलोक में श्री प्रवीण कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा, प्रखंड कार्यालय बरियारपुर, मुंगेर एवं वर्त्तमान पदस्थापन प्रखण्ड कार्यालय धरहरा मुंगेर को सेवाच्युति का दण्ड अधिरोपित करती हूँ।

1. नाम – श्री प्रवीण कुमार
2. पिता का नाम – स्व0 तारणी प्रसाद मण्डल
3. पदनाम – पंचायत सचिव
4. समूह – ग
5. जन्म तिथि – 16.08.1965
6. नियुक्ति की तिथि – 05.12.2000
7. सेवानिवृति की तिथि – 31.08.2025

8. वेतनमान — 5200–20200
9. ग्रेड पे — 2000
10. लेवल — 03
11. स्थायी पता — ग्राम–गौरी, पंचायत–इन्द्ररूख, पोस्ट– सफियाबाद, प्रखण्ड–जमालपुर, थाना– नयारामनगर, जिला– मुंगेर।

ह0/=
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 489 /पं0, दिनांक 24-02-2021

प्रतिलिपि– श्री प्रवीण कुमार, तत्कालिन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बिन्दादियारा, प्रखंड कार्यालय बरियारपुर, मुंगेर एवं वर्त्तमान पदस्थापन प्रखण्ड कार्यालय धरहरा मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रखंड विकास पदाधिकारी,धरहरा को निदेश दिया जाता है कि इस आशय की प्रविष्टि इनकी सेवापुस्त में दर्ज करते हुए इसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चत करें।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी,सदर मुंगेर/ सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, मुंगेर जिला/सभी अंचल अधिकारी, मुंगेर जिला/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर एवं प्रभारी पदाधिकारी,जिला सामान्य शाखा,मुंगेर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव मुंगेर जिले के वेबसाईट पर अपलोड एवं सभी जिले के जिला पदाधिकारी को ई–मेल के माध्यम से आदेश की प्रति भेजना सुनिश्चत करें।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय, गुलजारबाग पटना को गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

24.2.21
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।